न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री भवानी सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या – 75/2006

सालय/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
सरकार		भंवरदत्त पुत्र रामदत्त के का.मु.

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ से

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के अन्तगर्त

–:निर्णयः– दिनांक 22/3/2024

1. उक्त सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3–बी के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें उपखण्ड अधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.1972 द्वारा अप्रार्थी से कोई भूमि काबिल अधिग्रहण नहीं मानी जाकर कार्यवाही समाप्त कर दी। इस निर्णय की जांच जिलाधीश महोदय, पाली के द्वारा की गई तो पाया की उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा किया गया निर्णय कानून के प्रावधानों के विपरीत और राज्यहित के प्रतिकूल हैं। अतः जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा उपखण्ड अधिकारी पाली के निर्णय को निरस्त कर मामले को पुनः खोला जाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया।

2. राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 27.05.1983 मे अवगत कराया की जिलाधीश पाली की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 25.02.1958 को अप्रार्थी भंवरदत्त के पास लगभग 289.7 बीघा भूमि के आधार पर उपखण्ड अधिकारी को निर्णय किया जाना था किन्तु उपखण्ड अधिकारी पाली ने अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए सीलिंग प्रकरण का निर्णय किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी पाली ने इस बात की भी जांच नहीं की कि अप्रार्थी ने 25.2.1958 के उपरान्त जितनी भूमि हस्तानान्तरण किये क्या वे धारा 30डी. एवं 30डी.डी. के अनुरूप थे? अतः राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.05.1983 में राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रकरण पुनः खोला जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रधिकृत कर निर्देष दिये

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

की वे इस सीलिंग प्रकरण में सुनवाई का अवसर देकर वर्णित बिन्दुओं पर विस्तृत जांच के उपरान्त, कानुनों व प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवें।

3. राज्य सरकार के आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में दर्ज हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली से उक्त प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु मुकर्र की गई।

4. यह हैं कि प्रकरण में लम्बे समय से वकील अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन करने के उपरान्त वकील अप्रार्थी को अंतिम बहस हेतु निवेदन किया गया तो अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि अप्रार्थी भंवरदत्त का निधन कई वर्षों पूर्व हो चुका हैं तथा कायम मुकाम की ओर से वे अधिवक्ता नियुक्त नहीं हैं अथवा वे उक्त प्रकरण में आगे पैरवी नहीं करना चाहते। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी भंवरदत्त के कायम मुकाम को सन 1999 में ही नोटीस तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दो मौतबिरान के समक्ष चस्पा कराने के उपरान्त भी आदिनांक तक कायम मुकाम प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा लम्बे समय से अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अप्रार्थी के अधिवक्ता तथा कायम मुकाम द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया और न ही किसी प्रकार की बहस की गई। जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी प्रकरण के निस्तारण में रूची नहीं है तथा प्रकरण को निस्तारित नही कराने चाहते। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाना उचित हैं।

5. प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

6. प्रकरण मे राज्य पक्ष की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया की पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार दिनांक 1.04.1966 को अप्रर्थी के परिवार में स्वयं अप्रार्थी व उनकी पत्नि दो ही सदस्य सदस्य थे। साथ ही राजकिय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कहा की अप्रार्थी द्वारा किय हस्तानान्तरण किस कारण से किये गये हैं, इस बाबत् भी कोई प्रमाण व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नही हैं। जिससे यह प्रमाणित होता हैं कि सभी हस्तानान्तरण सीलिंग कानून को प्रभावित करने के लिये किये गये हैं।

7. राजकिय अभिभाषक ने निवेदन किया की नये सीलिंग कानून की धारा 6 और आर.आर.डी. 1978 पेज 197 जितेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार मे प्रतिपादित सिद्धान्तोः–

i. आया ऐसे हस्तानान्तरण कानूनी रूप से मानने योग्य एवं वैध हैं जो ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हैं और बेनामी नहीं हैं।

अति ... क्टर (सीलिंग)
... (राज)

ii. रिस्तेदारों को किये गये हस्तानान्तरण अप्रर्याप्त प्रतिफल प्राप्त किये गये हो उनकी सीलिंग सीमा संबंधी प्रावधानों को विफल करने वाले माने जायेंगे।

iii. आया हस्तानान्तरणों के साथ भौतिक कब्जा भी दिया गया हैं या नहीं।

iv. हस्तानान्तरणों के लिए वास्तविक एवं मानने योग्य कारण होने चाहिए।

अप्रार्थी द्वारा किये गये हस्तानान्तरण उक्त सिद्धान्तो के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30डी एवं 30डी.डी. के अनुसार कानूनी रूप से मानने योग्य नहीं हैं।

8. अन्त में राजकिय अभिभाषक ने निवेदन किया की अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 01.4.1966 को दो से ज्यादा सदस्य नहीं होने के कारण एक इकाई माना जावें। सीलिंग कानून अनुसार जिले मे एक इकाई तक 135 बीघा बारानी भूमि धारण कर सकता हैं। दिनांक 25.2.1958 एवं 01.4.1966 को अप्रार्थी व उनके परिवार के पास कुल 163.14 बीघा भूमि धारित थी। इस प्रकार शेष भूमि 163.14–135 = 28.14 बीघा बारानी भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहित करने का निवेदन किया हैं।

9. हमने राजकिय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा मिसल पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रकरण पुनः रि–ओपन कर प्रेषित करने का मुख्य बिन्दु यही था की, प्रकरण में किये गये हस्तानान्तरण धारा 30डी व 30डी.डी. से संरक्षित थे अथवा नहीं? हमारे द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.05.1983 की पालना में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 30डी. व 30डी.डी. के अनुसार केवल वही हस्तानान्तरण वेध और मान्य हो सकते हैं जो कानूनी रूप से मानने योग्य हो। जैसे की:–

- ऐसे कोई हस्तानान्तरण जो 30 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक भूमि के नही हो और दिनांक 01.04.1966 के पूर्व के हो।
- जिस व्यक्ति को हस्तानान्तरण किया हो वह राजस्थान का निवासी हो, सदभावी काश्तकार हो, मुख्य पेशा कृषि हो तथा उस व्यक्ति के पास पूर्व में 30 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक भूमि नहीं हो।
- हस्तानान्तरण उसी दसा में किया जा सकता हैं कि जिस व्यक्ति को हस्तानान्तरण किया जा रहा है वह काश्त करने योग्य हो और उसका एक मात्र श्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हो।
- रिस्तेदारों को किये गये हस्तानान्तरण बएवज प्रतिफल किये गये हो
- आया हस्तानान्तरणों के साथ भौतिक रूप से कब्जा काश्त सूपूर्द किया गया हो।

अति ... (सीलिंग)
... (राज)

- किये गये हस्तानान्तरणों के लिये वास्तविक रूप मानने योग्य कारण होने चाहीए।
- हस्तानान्तरण किये जाने वाले व्यक्ति की आयू 18 वर्ष पूर्ण हो।
- किये गये हस्तानान्तरण पंजीकृत तथा विक्रय सिद्ध हो।

10. उक्त प्रकरण में किये गये सभी हस्तानाान्तरण उपरोक्त में से किस कारण से किये गये हैं इस बाबत काई भी प्रमाण व दस्तावेज अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ही मिसल पर उपलब्ध हैं। जिससे यह प्रमाणित होता हैं कि सभी हस्तानान्तरण सीलिंग कानून को प्रभावित करने के लिए किये गये थे। अतः सभी हस्तानान्तरण राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 30डी. व 30डी.डी. के अनुरूप वैध नही होने से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अतः सभी हस्तानान्तरण अस्वीकार किये जाते हैं।

11. यह हैं कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 25.2.1958 व 01.4.1966 को अप्रार्थी भंवरदत्त उर्फ भंवरसिंह के पास निम्नानुसार भूमि थीः–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील व जिला	भूमि (बीघा में)
01	रूपावास	तह. पाली, जिला पाली	47.09 बीघा
02	सेपटावा	तह. देसूरी, जिला पाली	34.16 बीघा
03	इन्दरवाडा	तह. देसूरी, जिला पाली	57.04 बीघा
04	भिमालिया	तह. मारवाड़ जं., जिला पाली	09.05 बीघा
05	दीणवा	तह. लक्ष्मणगढ, जिला सीकर	15.00 बीघा
कुल भूमि			163.14 बीघा

इस प्रकार अप्रार्थी भंवरदत्त उर्फ भंवरसिंह के कुल 163 बीघा 14 बिस्वा भूमि धारित थी। दिनांक 1.4.66 को अप्रार्थी के परिवार में दो ही सदस्य थे, जो की सीलिंग सीमा निर्धारणएक यूनिट ही मानी जाती हैं। इस प्रकार अप्रार्थी के परिवार एक इकाई होने से मात्र 135 बीघा बारानी भूमि रखने का अधिकारी हैं। अतः अप्रार्थी के पास शेष 163.14–135=28.14 बीघा बारानी भूमि जो निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने से अधिग्रहण किये जाने योग्य हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अप्रार्थी द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारित किये जाने से 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि अधिग्रहण किये

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार पाली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वे अप्रार्थी भवरदत्त उर्फ भंवरसिंह पुत्र रामदत्त निवासी रूपावास के कायम मुकाम से उक्त भूमि अधिग्रहण करने बाबत विकल्प प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें एवं 01 माह की अवधी में विकल्प प्राप्त कर 28 बीघा 14 बिस्वा बारानी भूमि का अधिग्रहण करें। अप्रार्थी के कायम मुकाम द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं तो उपरोक्तानुसार भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण करें। अगर अप्रार्थी के कायम मुकाम के पास भारमुक्त भूमि उपलब्ध होना नहीं पाया जाता हैं तो अप्रार्थी व उनके कायम मुकाम द्वारा हस्तान्तरित की गयी भूमि को पश्चात्वर्ती क्रम में विक्रय की गयी भूमि का अधिग्रहण कर पालना रिपोर्ट एक माह की अवधी में इस न्यायालय को भिजवावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)